बिहार सरकार
उद्योग विभाग

।। आदेश ।।

बिहार में खादी वस्त्रों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से खादी संस्थाओं द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 में बिहार राज्य में किए गए कुल उत्पादन पर 10 प्रतिशत की छूट का निर्णय निम्न शर्तों के साथ लिया जा सकता है:–

1. खादी संस्था को बिहार राज्य में उत्पादन के बाद प्रत्येक बिक्री पर 10 प्रतिशत की छूट देनी होगी।
2. बिहार राज्य में उत्पादन संबंधी प्रत्येक तिमाही आँकड़ा बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना को उपलब्ध कराना होगा।

प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(संजय कुमार)
संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक..... दिनांक.....
05/स०–रिबेट–(खा०बो०)–02/2016

प्रतिलिपिः– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, महेश भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना को उनके पत्रांक–368 दिनांक 16.09.2026 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 5340 दिनांक 01/10/26
05/स०–रिबेट–(खा०बो०)–02/2016

प्रतिलिपिः– राज्य निदेशक, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, बी०भी० कॉलेज, शेखपुरा, पटना–14/ आई०टी० मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित/बिहार में अवस्थित सभी खादी संस्थाओं/समितियों के प्रभारी से अनुरोध है कि बिहार में उत्पादन संबंधी प्रत्येक तिमाही आँकड़ा बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

30/9/26
संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।